न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील संख्या – 175/2018/223 आर टी ए

1. अमीलाल पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी निनाण, तहसील भादरा।

––अपीलांटस

बनाम

1. राजकुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा
2. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबन्धक निनाण, तहसील भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा छानी बड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खजाना भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. रमेश कुमार पुत्र श्री अमरसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. विमला पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

––रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 उपखण्ड अधिकारी भादरा
प्र0सं0 134/2015 बअमवानी राजकुमार बनाम रमेश कुमार आदि

उपस्थित :–
श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री हवासिंह पूनियां, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री मांगेराम गोदारा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5 व 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–05.02.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष एक अर्जीदावा खाता विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। अर्जीदावा में चक 8 जे जी डब्ल्यू व चक 10 ए एम एस की भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा दिगर प्रतिवादीगण से विभाजन किया जाकर वादी को उसके हिस्से का अलग से खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने व अलग से सींव डोल कायम कर कब्जा सम्पुष्ट करने एवं वादी भूमि का अच्छी में से अच्छी व मंदी में से मंदी के हिसाब से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कराये बिना कृषि भूमि का विशिष्ट भाग किसी अजनबी व्यक्ति को रहन बैय या दिगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करने का अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री पारित

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में मातहत अदालत ने दिनांक 03.06.2016 पेशी मुकर्रर की परन्तु दिनांक 19.05.2016 को बिना तामील करवाये एक पक्षीय तौर पर गैर कानूनी तारीके आगामी पेशी से पूर्व ही बिना किसी तारीख पेशी के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई जो अंपास्तनीय है। कैम्प कोर्ट में पत्रावली रखे जाने का अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। नोटिस आबाद मकान पर चस्पा कर निर्णय में हवाला दिया है तथा न्यायालय हाजा में आवाज लगाना बताया है। बिना सूचना के तथा बिना तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के एक पक्षीय तौर से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा चस्पांदगी द्वारा तामील कराने के कोई आदेश पत्रावली पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई निर्णय नही लिखाया केवल पत्रावली की फर्द अहकाम में ही निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना बताया है। जबकि आज तक प्राथमिक डिक्री जारी नहीं की गई है केवल निर्णय में विभाजन के प्रस्ताव के लिए तहसीलदार को कई दफा लिखा गया है। अपीलाण्ट एक सह खातेदार है सभी सह खातेदार काश्तकार को विभाजन के वाद में सुना जाना आवश्यक है। अतः डिले कन्डोन कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट को विधिवत नोटिस दिया गया था लेकिन जानबूझकर नोटिस नहीं लिया गया जिस पर आबाद मकान पर नोटिस को चस्पा किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रूटि नहीं है। विभाजन प्रस्ताव के समय प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अपील रेस्पोडेण्ट को परेशान करने के लिए पेश की गई है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट का यह कथन हे कि उसे नोटिस नहीं दिया गया। बिना आदेश के ही नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है। प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 3.06.2016 नियत थी जबकि दिनांक 19.05.2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेशी में ली गई है। अपीलाण्ट के उक्त कथन कि ताईद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से होती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम दिनांक 21.4.2016 को यह आदेश दिया गया है कि पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते तलबी दिनांक 03.06.2016 पेश हो। इस बीच दिनांक 19.05.2016 को अपीलाधीन

नोटिस संलग्न है। जिसमें सायल घर पर हाजिर नही मिले और गांव जाना बताया है। आबाद मकान पर चस्पा किये जाने का अंकन है। पत्रावली की फर्द अहकाम पर चस्पांदगी के द्वारा तामील कराने का कोई आदेश नहीं है। इस प्रकार तामील प्रोपर तामील की श्रेणी में होना प्रतीत नहीं होती है। पत्रावली वास्ते तलबी 03.06.2016 नियत की गई थी। इसी बीच कैम्प दिनांक 19.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व साक्ष्य नहीं ली गई। उक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भादरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.05.2016 अपास्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी भादरा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.03.2019 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

05/2/19

(मूल चन्द)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official